दिनांक 07.11.2013 को बिहार–झारखंड राज्यों के बीच प्रधान सचिव/सचिव स्तरीय अर्न्तराज्यीय बैठक की कार्यवाही

बिहार एवं झारखण्ड के बीच प्रधान सचिव/सचिव स्तरीय अन्तर्राज्यीय बैठक में दोनों राज्यों के जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया जिसकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

सर्व प्रथम प्रधान सचिव, जल ससाधन विभाग, बिहार द्वारा सचिव, जल ससाधन विभाग, झारखण्ड तथा अन्य उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया ।

दोनों राज्यों के शीर्षस्थ पदाधिकारियों की सहमति से निम्न योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है–

1. उत्तर कोयल जलाशय योजना :

1.1 गेट अधिष्ठापन के पूर्व 5339.22 हे0 वनभूमि का अपयोजन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से वाँछित है । योजना के डूब क्षेत्र का 4.7% भाग राष्ट्रीय वन्य प्राणी आश्रयणी (पलामू टाईगर रिजर्व) के क्षेत्र में अवस्थित है । झारखंड राज्य के प्रतिनिधि द्वारा जलाशय के स्तर को कम कर वन्य प्राणी आश्रयणी की भूमि को प्रभावित होने से बचाने का प्रस्ताव है । बिहार राज्य द्वारा इस तरह के प्रस्ताव का पूर्ण प्रतिवेदन बिहार सरकार को उपलब्ध कराने का अनुरोध झारखंड राज्य से किया गया ताकि सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके ।

1.2 जल संसाधन विभाग, झारखंड द्वारा उत्तर कोयल परियोजना के संयुक्त अवयवों के कार्यो पर किए गए व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि झारखंड सरकार द्वारा किए गए कुल रू0 3984.52 लाख व्यय के विरूद्ध झारखंड को देय राशि रू0 3597.68 लाख है ।

इस संबंध में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि जो मद स्वीकृत डी0पी0आर0 के अतर्गत Programme of Works में अनुमोदित है, के भुगतान के संबंध में इस परियोजना के लिये गठित Project Level Joint Operation Committee द्वारा समीक्षा किए जाने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए। साथ ही, अन्य मदो के भुगतान हेतु भी Project Level Joint Operation Committee द्वारा समीक्षा कर नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ।

1.3 मोहम्मदगज बराज के पौन्ड लेवेल से लिफ्ट इरिगेशन द्वारा सिंचाई से संबंधित झारखंड राज्य के प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा हुई । प्रधान सचिव, जल ससाधन विभाग, बिहार द्वारा इस संबंध में इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि उत्तर कोयल मुख्य नहर के झारखंड भाग में अवस्थित अवैध आउटलेट्स को हटाकर बिहार को वि0दू0 103 पर लगभग 2800 घनसेक जलश्राव दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान मे बिहार राज्य को खरीफ के दौरान मात्र 700–800 क्यूसेक जल ही औसतन उपलब्ध हो पा रहा है । तत्पश्चात् मोहम्मदगंज बराज के पौण्ड लेवेल से लिफ्ट इरिगेशन द्वारा सिंचाई किए जाने के प्रस्ताव पर जल उपलब्धता के आलोक में विचारणीय होगा ।

1.4 झारखंड राज्य द्वारा वि0दू0 0–103 तक के लाइनिंग कराने की आवश्यकता पर बल दिय गया । बिहार राज्य द्वारा इस प्रस्ताव का विस्तृत योजना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किय गया ताकि इस पर विचार किया जा सके ।

2. **बटाने जलाशय योजना :–**

जल संसाधन विभाग, झारखंड द्वारा बटाने जलाशय योजना के संयुक्त अवयवों के कार्यो पर किए गए व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि योजना पर कुल 2607.39 लाख का व्यय किया गया है। इसमें से मार्च 2013 तक झारखंड को बिहार से रू0 1480.27 लाख प्राप्त हुआ है । संपोषण मद में रु0 48.945 लाख की राशि झारखंड को विमुक्त कर दी गयी है । बिहार राज्य द्वारा शेष अपेक्षित देय राशि की विमुक्ति की कार्रवाई प्रगतिधीन है ।

दिनांक 26.06.2006 को हस्ताक्षरित MOU के कंडिका B2 तथा B5 में नीहित प्रावधानों के अन्तर्गत पुनर्वास मद में बिहार राज्य द्वारा यथोचित राशि देने के संबंध में आश्वासन दिया गया । दायीं मुख्य नहर के झारखंड भाग के अवशेष कार्यो को पूरा करने के संबंध में बैठक में बताया गया कि इस कार्य को मार्च 2014 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है । बिहार राज्य द्वारा दायें मुख्य नहर के अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कर लेने एवं स्थानीय ग्रामीणों के पूनर्वास के मामले का समाधान करते हुए स्पीलवे के Welded किये गये गेट एवं डैम के दो Sluice गेटों को अधिष्ठापित करते हुए परिचालित करने का अनुरोध किया गया । झारखण्ड राज्य द्वारा इस मुद्दे को समाधान करने का आश्वासन दिया गया ।

3. **बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजनाः–**

सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, राँची के द्वारा बताया गया कि झारखंड क्षेत्र में पड़ने वाले उच्चस्तरीय मुख्य नहर के 14.36 - 45.72 कि0मी0 के बीच कुल 31.36 कि0मी0 नहर का निर्माण झारखण्ड सरकार के द्वारा शीघ्र पूरा कर लिया जायगा तथा इस योजना के त्वरित कियान्वयन हेतु दोनों राज्यों के संबंधित मुख्य अभियंता अपने–अपने क्षेत्र में पड़ने वाली योजना के हिस्सों का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करेंगे ताकि स्वीकृति हेतु इसे केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को समर्पित किया जा सके। तत्काल पूर्व स्वीकृत योजना के आधार पर झारखंड राज्य के व्यय को भी इंगित करते हुए AIBP के लिये प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया ।

4. **तिलैया ढ़ाढर सिंचाई योजनाः–**

झारखंड राज्य द्वारा तिलैया जलाशय के जल के उपयोग हेतु कतिपय योजनाओं को जल कर्णाकित कर दिये जाने की सूचना दी गयी । झारखण्ड राज्य द्वारा जलाशय के जल की उपलब्धता एवं इसके उपयोग के बारे में प्रतिवेदन बिहार राज्य को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

5. **अपर सकरी जलाशय योजनाः–**

दिनांक 22.09.2004 को बिहार–झारखण्ड सचिव स्तरीय बैठक के आलोक में इसे संयुक्त परियोजनाओं की सूची से हटा लेने का निर्णय लिया गया है । इस योजना पर अगली बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया ।

6. **इन्द्रपुरी जलाशय योजना :–**

इन्द्रपुरी जलाशय योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार द्वारा नये सिरे से विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा ताकि इस प्रस्तावित योजना से प्रभावित होने वाले राज्यों के डूब क्षेत्र को न्यूनतम रखा जा सके।

7. **मोहाने जलाशय योजना:–**

इस योजना का निर्माण झारखड के आर्मडेग में बराज बनाकर बिहार राज्य में 60222 हे0 सिंचाई एवं 29 मेगावाट हाइड्रो–पावर तथा झारखण्ड राज्य में 5000 हे0 सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, साथ ही इससे मोकामा टाल क्षेत्र में जलप्लावन की समस्या का निदान भी प्रस्तावित है । इस योजना पर अगली बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया ।

8. **लीलाजन जलाशय योजना :–**

इस योजना में नदी के दोनों भाग में अवस्थित चतरा जिला (झारखण्ड) एवं बिहार के गया क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त करना एवं पूर्व से निर्मित्त लीलाजन वीयर योजना के 65.950 एकड कमाण्ड क्षेत्र मे जल की आवश्यकता की पूर्ति करना है । इस योजना पर अगली बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया ।

9. **धनराजे जलाशय योजना :–**

यह एक अर्न्तराज्यीय योजना है । प्रस्तावित योजना के सर्वेक्षण कार्य आदि के लिए बिहार राज्य के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर झारखड राज्य द्वारा इस योजना से जलाशय निर्माण के concept को हटाकर झारखण्ड क्षेत्र में सर्वे कार्य कराने मे प्रशासनिक सहयोग देने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

10. **पुनासी जलाशय योजना:–**

पुनासी जलाशय योजना बिहार राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य रूप से झारखड राज्य के अधीन स्थित है। इस योजना की वर्ष 2010 के पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल रू0 593.4306 करोड़ है । बिहार राज्य के जमुई जिला में 07 गॉव तथा झारखंड राज्य के देवघर जिला में 16 गॉव इसके डूब क्षेत्र में सम्मिलित है । बिहार राज्य के 153 विस्थापितो की समस्या और झारखंड राज्य में 606 विस्थापितों की समस्या इसके अधीन है । बिहार के चॉदन एवं कटोरिया प्रखंड में कुल 2000.81 हे0 तथा झारखंड राज्य के 13410.52 हे0 मे सिचाई सुविधा सम्मिलित है । इस योजना के कार्यान्वयन के लिए झारखंड सरकार से आग्रह किया गया। साथ ही, विस्तृत योजना प्रतिवेदन एवं MOU का प्रस्ताव बिहार राज्य को उपलब्ध कराया जाय, ताकि समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा सके ।

11. **बतरे वीयर योजना:–**

इस योजना का शीर्ष कार्य झारखड के पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड में अवस्थित है। योजना से झारखंड के पलामू जिले के हरिहगंज प्रखंड में 400 हे0 एवं बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड मे 1128 हे0 क्षेत्र मे सिचाई सुविधा प्रदान की जाती है । बतरे नदी बटाने नदी की सहायक नदी है। मुख्य नहर की लम्बाई 8.747 कि0मी0 है, जिसमें कि0मी0 0.00 से कि0मी0 4.303 तक झारखंड में एवं शेष 4.444 कि0मी0 भाग बिहार मे अवस्थित है। इस योजना के अग्रेत्तर कार्यान्वयन हेतु झारखंड राज्य से योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन एव MOU का प्रस्ताव बिहार राज्य को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड–रॉची।

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार–पटना